न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-258RAAJodhpur2024-148RTA225 Prakashsingh Vs Lunaram etc

प्रकाश सिंह पुत्र श्री जमन लाल गहलोत, जाति माली, निवासी- परिहार नगर के पीछे, भदवासियां, जोधपुर, राजस्थान।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. लुणाराम पुत्र श्री रणछोड़ माली
02. सेठाराम पुत्र श्री रणछोड़ माली
03. हरीसिंह पुत्र श्री रणछोड़ माली
04. सेणाराम पुत्र श्री रणछोड़ माली,
सभी जातियान् माली, निवासीगण- बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर।
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 लुणाराम व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री एस.एल. सांखला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अंकुश राठौड़, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 12 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 अनवान लूणाराम बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण हेमाराम वगैरह द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 25, 26, 27, 28 व 29 कुल रकबा 28.13 बीघा ग्राम बासनी तंबोलिया के संबंध में राजस्व वाद संख्या 109/2017 अनवान हेमाराम बनाम चुकिया देवी इत्यादि पेश किया जो हेमाराम द्वारा दिनांक 24.03.2021 को जरिये राजीनामा विड्रो कर लिया गया। लेकि उक्त वाद के साथ प्रतिवादीगण द्वारा कांउटर क्लेम पेश किया गया तथा उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है। एक रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट्स का वादग्रस्त आराजी में कोई हक-हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेंट के पिता रणछोड़ द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया जो आपसी राजीनामे से निस्तारित हो गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा रेस्पोडेंट के पिता रणछोड़ ने माना कि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक-हिस्सा नहीं है। संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में संपूर्ण हिस्सा लालाराम व ढगलाराम का होना माना है। इसके एवज में रेस्पोडेंट के पिता रणछोड़ को ग्राम बासनी तंबोलिया के खसरा नं. 10 व 11 की भूमि दी गई, फिर भी रेस्पोडेंट्स द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो रेसजुडिकेटा से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स द्वारा गलत वंशावली पेश की गई है तथा तथ्यो को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा स्व. ढगलाराम पुत्र श्री नारायणराम का संपूर्ण हिस्सा सन् 2007 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद कर सहखातेदार के रूप में खाते में स्थापित हुआ है। उस कारण अपीलांट सदभाविक क्रेता होने से सहखातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस कानूनी बिंदु पर गौर किये बिना व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय जारी किये जाने से अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी जब संबंधित न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को अपने दूसरे कार्य हेतु गया तो अपीलांट को जानकारी में आया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा बाले-बाले अपने नाम से अवैधानिक तरीके से उक्त स्थगन आदेश पारित करवा लिया है। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 को निरस्त किया जावे

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम विचाराधीन है। काउंटर क्लेम के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है तथा विलंब का कोई संतोष जनक कारण नहीं बतलाया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख बेचाननामा दिनांक 05.02.2007 के मुताबिक अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 25 रकबा 07.13 बीघा, खसरा नं. 26 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03.19 बीघा, खसरा नं. 27 रकबा 03.05 बीघा, खसरा नं. 28 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 13.08 बीघा कुल रकबा 28.13 बीघा ग्राम तंवोलिया बासनी में 1/24 वे हिस्से के खातेदार ढगलाराम पुत्र श्री नारायणराम जाति माली से उसका 1/24 वॉ संपूर्ण हिस्सा यानि 01 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीद किया जाना पाया जाता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड सहखातेदार/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिंद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021 अनवान लूणाराम बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 को निरस्त किया जाकर मामला विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 01 माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर